

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में उन्नत तकनीक पर मसूर के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2022 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर मसूर के समूह प्रदर्शन प्लाट पर ₹0 3600/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses (Cluster Demonstrations on improved technology- Lentil) during the year Rabi- 2022-23(Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy.(in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy.(in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy.(in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	50	1.80	40	1.44	10	0.36
2	Bhiwani	10	0.36	8	0.29	2	0.07
3	Ch.Dadri	10	0.36	8	0.29	2	0.07
4	Faridabad	10	0.36	8	0.29	2	0.07
5	Fatehabad	10	0.36	8	0.29	2	0.07
6	Gurugram	10	0.36	8	0.29	2	0.07
7	Hisar	20	0.72	16	0.58	4	0.14
8	Jhajjar	10	0.36	8	0.29	2	0.07
9	Jind	10	0.36	8	0.29	2	0.07
10	Kaithal	25	0.90	20	0.72	5	0.18
11	Karnal	25	0.90	20	0.72	5	0.18
12	Kurukshetra	20	0.72	16	0.58	4	0.14
13	M.Garh	50	1.80	40	1.44	10	0.36
14	Mewat	20	0.72	16	0.58	4	0.14
15	Palwal	10	0.36	8	0.29	2	0.07
16	Panchkula	20	0.72	16	0.58	4	0.14
17	Panipat	10	0.36	8	0.29	2	0.07
18	Rewari	10	0.36	8	0.29	2	0.07
19	Rohtak	10	0.36	8	0.29	2	0.07
20	Sirsa	20	0.72	16	0.58	4	0.14
21	Sonipat	10	0.36	8	0.29	2	0.07
22	Y.Nagar	30	1.08	24	0.86	6	0.22
Total		400	14.40	320.00	11.52	80.00	2.88

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में उन्नत तकनीक पर चने के समूह प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2022 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर चने के समूह प्रदर्शन प्लाट पर रू0 3600/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses- (Cluster Demonstrations on improved technology- Gram) Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 3600/- acre)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy.(in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy.(in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy.(in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	50	1.80	40	1.44	10	0.36
2	Bhiwani	130	4.68	104	3.74	26	0.94
3	Ch.Dadri	70	2.52	56	2.02	14	0.50
4	Faridabad	35	1.26	28	1.01	7	0.25
5	Fatehabad	70	2.52	56	2.02	14	0.50
6	Gurugram	35	1.26	28	1.01	7	0.25
7	Hisar	130	4.68	104	3.74	26	0.94
8	Jhajjar	60	2.16	48	1.73	12	0.43
9	Jind	40	1.44	32	1.15	8	0.29
10	Kaithal	40	1.44	32	1.15	8	0.29
11	Karnal	60	2.16	48	1.73	12	0.43
12	Kurukshetra	35	1.26	28	1.01	7	0.25
13	M.Garh	110	3.96	88	3.17	22	0.79
14	Mewat	65	2.34	52	1.87	13	0.47
15	Palwal	35	1.26	28	1.01	7	0.25
16	Panchkula	60	2.16	48	1.73	12	0.43
17	Panipat	35	1.26	28	1.01	7	0.25
18	Rewari	35	1.26	28	1.01	7	0.25
19	Rohtak	70	2.52	56	2.02	14	0.50
20	Sirsa	130	4.68	104	3.74	26	0.94
21	Sonipat	35	1.26	28	1.01	7	0.25
22	Y.Nagar	45	1.62	36	1.30	9	0.32
Total		1375	49.500	1100	39.60	275	9.90

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में 10 वर्षों से कम मसूर के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2022 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से कम मसूर के बीज वितरण रू0 5000/ क्विंटल सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses Less than 10 year for Lentil Certified Seed Distribution (Assistant Rs. 5000/qtl. or 50 % of the cost whichever is less) during Rabi 2022-23							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)
1	Ambala	10	0.5	8	0.4	2	0.1
2	Bhiwani	5	0.3	4	0.2	1	0.1
3	Ch.Dadri	5	0.3	4	0.2	1	0.1
4	Faridabad	5	0.3	4	0.2	1	0.1
5	Fatehabad	5	0.3	4	0.2	1	0.1
6	Gurugram	5	0.3	4	0.2	1	0.1
7	Hisar	10	0.5	8	0.4	2	0.1
8	Jhajjar	5	0.3	4	0.2	1	0.1
9	Jind	10	0.5	8	0.4	2	0.1
10	Kaithal	10	0.5	8	0.4	2	0.1
11	Karnal	10	0.5	8	0.4	2	0.1
12	Kurukshetra	5	0.3	4	0.2	1	0.1
13	M.Garh	10	0.5	8	0.4	2	0.1
14	Mewat	10	0.5	8	0.4	2	0.1
15	Palwal	5	0.3	4	0.2	1	0.1
16	Panchkula	10	0.5	8	0.4	2	0.1
17	Panipat	5	0.3	4	0.2	1	0.1
18	Rewari	5	0.3	4	0.2	1	0.1
19	Rohtak	5	0.3	4	0.2	1	0.1
20	Sirsa	10	0.5	8	0.4	2	0.1
21	Sonipat	5	0.3	4	0.2	1	0.1
22	Y.Nagar	10	0.5	8	0.4	2	0.1
Total		160	8.0	128	6.4	32	1.6

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में 10 वर्षों से कम चने के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2022 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से कम चने के बीज वितरण रू0 5000 / क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses Less than 10 year for Gram Certified Seed Distribution (Assistant Rs. 5000/qtl. or 50 % of the cost whichever is less) during Rabi 2022-23							
Sr. No.	Distt	General Category				SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)
1	Ambala	5	0.25	4	0.20	1	0.05
2	Bhiwani	70	3.50	56	2.80	14	0.70
3	Ch.Dadri	20	1.00	16	0.80	4	0.20
4	Faridabad	5	0.25	4	0.20	1	0.05
5	Fatehabad	30	1.50	24	1.20	6	0.30
6	Gurugram	5	0.25	4	0.20	1	0.05
7	Hisar	65	3.25	52	2.60	13	0.65
8	Jhajjar	30	1.50	24	1.20	6	0.30
9	Jind	5	0.25	4	0.20	1	0.05
10	Kaithal	5	0.25	4	0.20	1	0.05
11	Karnal	5	0.25	4	0.20	1	0.05
12	Kurukshetra	5	0.25	4	0.20	1	0.05
13	M.Garh	45	2.25	36	1.80	9	0.45
14	Mewat	30	1.50	24	1.20	6	0.30
15	Palwal	5	0.25	4	0.20	1	0.05
16	Panchkula	25	1.25	20	1.00	5	0.25
17	Panipat	5	0.25	4	0.20	1	0.05
18	Rewari	5	0.25	4	0.20	1	0.05
19	Rohtak	30	1.50	24	1.20	6	0.30
20	Sirsa	45	2.25	36	1.80	9	0.45
21	Sonipat	5	0.25	4	0.20	1	0.05
22	Y.Nagar	5	0.25	4	0.20	1	0.05
Total		450	22.50	360	18.00	90	4.50

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के (17 जिलों) अम्बाला, भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जीन्द, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, मेवात, पलवल, पंचकूला, रेवाडी, रोहतक, सिरसा व यमुनानगर में 10 वर्षों से अधिक मसूर के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2022 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से अधिक मसूर के बीज वितरण रू0 2500/ क्विंटल सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses more than 10 year for Certified Seed Distribution-Lentil Rabi 2022-23 (Assistant Rs. 2500/qtl. or 50 % of the cost whichever is less)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)
1	Ambala	5	0.13	4	0.10	1	0.03
2	Bhiwani	5	0.13	4	0.10	1	0.03
3	Gurugram	5	0.13	4	0.10	1	0.03
4	Hisar	8	0.20	6	0.15	2	0.05
5	Jhajjar	5	0.13	4	0.10	1	0.03
6	Jind	5	0.13	4	0.10	1	0.03
7	Kaithal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
8	Karnal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
9	Kurukshetra	5	0.13	4	0.10	1	0.03
10	M.Garh	5	0.13	4	0.10	1	0.03
11	Mewat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
12	Palwal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
13	Panchkula	5	0.13	4	0.10	1	0.03
14	Rewari	5	0.13	4	0.10	1	0.03
15	Rohtak	5	0.13	4	0.10	1	0.03
16	Sirsa	6	0.15	5	0.13	1	0.03
17	Y.Nagar	5	0.13	4	0.10	1	0.03
Total		89	2.225	71	1.775	18	0.45

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में 10 वर्षों से अधिक चने के बीज वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 15-12-2022 तक कर सकते हैं।

10 वर्षों से अधिक चने के बीज वितरण रू0 2500/ क्विंटल सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses More than 10 year for Certified Seed Distribution-Gram Rabi 2022-23 (Assistant Rs. 2500/qtl. or 50 % of the cost whichever is less)							
Sr. No.	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)	Phy. (in qtl.)	Fin. (Rs. in lakhs)
1	Ambala	5	0.13	4	0.10	1	0.03
2	Bhiwani	20	0.50	16	0.40	4	0.10
3	C.Dadri	10	0.25	8	0.20	2	0.05
4	Faridabad	5	0.13	4	0.10	1	0.03
5	Fatehabad	10	0.25	8	0.20	2	0.05
6	Gurugram	5	0.13	4	0.10	1	0.03
7	Hisar	16	0.40	13	0.33	3	0.08
8	Jhajjar	10	0.25	8	0.20	2	0.05
9	Jind	5	0.13	4	0.10	1	0.03
10	Kaithal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
11	Karnal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
12	Kurukshetra	5	0.13	4	0.10	1	0.03
13	M/garh	10	0.25	8	0.20	2	0.05
14	Mewat	10	0.25	8	0.20	2	0.05
15	Palwal	5	0.13	4	0.10	1	0.03
16	Panchkula	10	0.25	8	0.20	2	0.05
17	Panipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
18	Rewari	5	0.13	4	0.10	1	0.03
19	Rohtak	10	0.25	8	0.20	2	0.05
20	Sirsa	20	0.50	16	0.40	4	0.10
21	Sonipat	5	0.13	4	0.10	1	0.03
22	Y/Nar	5	0.13	4	0.10	1	0.03
Total		186	4.65	149	3.725	37	0.925

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद मे प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार /सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में सूक्ष्म तत्व के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

सूक्ष्म तत्व के वितरण पर रू0 200/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Micronutrient under NFSM-Pulses Rabi-2022-23 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	200	0.40	160	0.32	40	0.08
2	Bhiwani	245	0.49	196	0.39	49	0.10
3	C.Dadri	100	0.20	80	0.16	20	0.04
4	Faridabad	100	0.20	80	0.16	20	0.04
5	Fatehabad	150	0.30	120	0.24	30	0.06
6	Gurugram	100	0.20	80	0.16	20	0.04
7	Hisar	160	0.32	128	0.26	32	0.06
8	Jhajjar	150	0.30	120	0.24	30	0.06
9	Jind	150	0.30	120	0.24	30	0.06
10	Kaithal	150	0.30	120	0.24	30	0.06
11	Karnal	150	0.30	120	0.24	30	0.06
12	Kuk	150	0.30	120	0.24	30	0.06
13	M.Garh	150	0.30	120	0.24	30	0.06
14	Mewat	145	0.29	116	0.23	29	0.06
15	Palwal	140	0.28	112	0.22	28	0.06
16	Panchkula	100	0.20	80	0.16	20	0.04
17	Panipat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
18	Rewari	140	0.28	112	0.22	28	0.06
19	Rohtak	140	0.28	112	0.22	28	0.06
20	Sirsa	162.5	0.33	130	0.26	32.5	0.07
21	Sonipat	140	0.28	112	0.22	28	0.06
22	Y.Nagar	140	0.28	112	0.22	28	0.06
	Total	3162.5	6.33	2530	5.06	633	1.27

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में जैविक खाद के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

जैविक खाद के वितरण पर रू0 120/- एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Bio-Fertilizer under NFSM-Pulses Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 120/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	190	0.23	152	0.18	38	0.05
2	Bhiwani	230	0.28	184	0.22	46	0.06
3	C.Dadri	150	0.18	120	0.14	30	0.04
4	Faridabad	110	0.13	88	0.11	22	0.03
5	Fatehabad	185	0.22	148	0.18	37	0.04
6	Gurugram	70	0.08	56	0.07	14	0.02
7	Hisar	220	0.26	176	0.21	44	0.05
8	Jhajjar	190	0.23	152	0.18	38	0.05
9	Jind	190	0.23	152	0.18	38	0.05
10	Kaithal	150	0.18	120	0.14	30	0.04
11	Karnal	190	0.23	152	0.18	38	0.05
12	Kuk	190	0.23	152	0.18	38	0.05
13	M.Garh	150	0.18	120	0.14	30	0.04
14	Mewat	150	0.18	120	0.14	30	0.04
15	Palwal	150	0.18	120	0.14	30	0.04
16	Panchkula	110	0.13	88	0.11	22	0.03
17	Panipat	150	0.18	120	0.14	30	0.04
18	Rewari	170	0.20	136	0.16	34	0.04
19	Rohtak	150	0.18	120	0.14	30	0.04
20	Sirsa	190	0.23	152	0.18	38	0.05
21	Sonipat	190	0.23	152	0.18	38	0.05
22	Y.Nagar	200	0.24	160	0.19	40	0.05
	Total	3675	4.41	2940	3.53	735	0.88

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#) /[उपमण्डल कृषि अधिकारी](#) /उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में पौध संरक्षण रसायन के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

पौध संरक्षण रसायन के वितरण पर रू0 200/ एकड़ सामान्य वर्ग /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।

District Wise Physical Financial targets for distribution of PP Chemical under NFSM- Pulses Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	160	0.32	128	0.26	32	0.06
2	Bhiwani	270	0.54	216	0.43	54	0.11
3	C.Dadri	145	0.29	116	0.23	29	0.06
4	Faridabad	100	0.20	80	0.16	20	0.04
5	Fatehabad	180	0.36	144	0.29	36	0.07
6	Gurugram	100	0.20	80	0.16	20	0.04
7	Hisar	230	0.46	184	0.37	46	0.09
8	Jhajjar	195	0.39	156	0.31	39	0.08
9	Jind	170	0.34	136	0.27	34	0.07
10	Kaithal	190	0.38	152	0.30	38	0.08
11	Karnal	190	0.38	152	0.30	38	0.08
12	Kuk	190	0.38	152	0.30	38	0.08
13	M.Garh	245	0.49	196	0.39	49	0.10
14	Mewat	170	0.34	136	0.27	34	0.07
15	Palwal	170	0.34	136	0.27	34	0.07
16	Panchkula	100	0.20	80	0.16	20	0.04
17	Panipat	100	0.20	80	0.16	20	0.04
18	Rewari	185	0.37	148	0.30	37	0.07
19	Rohtak	170	0.34	136	0.27	34	0.07
20	Sirsa	195	0.39	156	0.31	39	0.08
21	Sonipat	210	0.42	168	0.34	42	0.08
22	Y.Nagar	210	0.42	168	0.34	42	0.08
	Total	3875	7.75	3100	6.20	775	1.55

विशेष दिशा निर्देश:-

1. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों (22 जिलों) में खरपतवार नाशी के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

खरपतवार नाशी के वितरण पर रू0 200/- एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Weedicide under NFSM- Pulses Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 200/ acre or 50% of the cost whichever is less.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy. (in acre)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	250	0.50	200	0.40	50	0.10
2	Bhiwani	450	0.90	360	0.72	90	0.18
3	C.Dadri	250	0.50	200	0.40	50	0.10
4	Faridabad	165	0.33	132	0.26	33	0.07
5	Fatehabad	350	0.70	280	0.56	70	0.14
6	Gurugram	150	0.30	120	0.24	30	0.06
7	Hisar	380	0.76	304	0.61	76	0.15
8	Jhajjar	250	0.50	200	0.40	50	0.10
9	Jind	250	0.50	200	0.40	50	0.10
10	Kaithal	200	0.40	160	0.32	40	0.08
11	Karnal	250	0.50	200	0.40	50	0.10
12	Kuk	280	0.56	224	0.45	56	0.11
13	M.Garh	280	0.56	224	0.45	56	0.11
14	Mewat	280	0.56	224	0.45	56	0.11
15	Palwal	200	0.40	160	0.32	40	0.08
16	Panchkula	150	0.30	120	0.24	30	0.06
17	Panipat	200	0.40	160	0.32	40	0.08
18	Rewari	280	0.56	224	0.45	56	0.11
19	Rohtak	200	0.40	160	0.32	40	0.08
20	Sirsa	263	0.53	210	0.42	53	0.11
21	Sonipat	250	0.50	200	0.40	50	0.10
22	Y.Nagar	250	0.50	200	0.40	50	0.10
	Total	5578	11.16	4462	8.92	1116	2.23

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
3. किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#) /[उपमण्डल कृषि अधिकारी](#) /उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में हस्त चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

हस्त चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर रू0 600/ प्रति पम्प सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Manual Sprayers) under NFSM- Pulses Kharif-2022 (Assistance @ Rs. 600/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in No.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in No.)	Fin (Rs. in Lakh)	Phy (in No.)	Fin (Rs. in Lakh)
1	Ambala	20	0.12	16	0.10	4	0.02
2	Bhiwani	25	0.15	20	0.12	5	0.03
3	C.Dadri	15	0.09	12	0.07	3	0.02
4	Faridabad	15	0.09	12	0.07	3	0.02
5	Fatehabad	15	0.09	12	0.07	3	0.02
6	Gurugram	10	0.06	8	0.05	2	0.01
7	Hisar	25	0.15	20	0.12	5	0.03
8	Jhajjar	20	0.12	16	0.10	4	0.02
9	Jind	15	0.09	12	0.07	3	0.02
10	Kaithal	15	0.09	12	0.07	3	0.02
11	Karnal	15	0.09	12	0.07	3	0.02
12	Kuk	15	0.09	12	0.07	3	0.02
13	M.Garh	15	0.09	12	0.07	3	0.02
14	Mewat	15	0.09	12	0.07	3	0.02
15	Palwal	10	0.06	8	0.05	2	0.01
16	Panchkula	10	0.06	8	0.05	2	0.01
17	Panipat	10	0.06	8	0.05	2	0.01
18	Rewari	15	0.09	12	0.07	3	0.02
19	Rohtak	15	0.09	12	0.07	3	0.02
20	Sirsa	25	0.15	20	0.12	5	0.03
21	Sonipat	10	0.06	8	0.05	2	0.01
22	Y.Nagar	15	0.09	12	0.07	3	0.02
	Total	345	2.07	276	1.66	69	0.41

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के सभी जिलों में बैटरी/मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर अनुदान किसानों को दिया जाना है। अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट <http://agriharyana.org> में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-02-2023 तक कर सकते हैं।

बैटरी/मोटर चलित स्प्रे पम्प के वितरण पर रू0 3000/ प्रति पम्प सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise Physical Financial targets for distribution of Farm Implements and equipments (Power Knap sack Sprayer) under NFSM- Pulses Rabi 2022-23 (Assistance @ Rs. 3000/ unit.)							
Sr. No	Distt	Total		General Category		SC Category	
		Phy (in No.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in No.)	Fin. (Rs. in lakh)	Phy (in No.)	Fin. (Rs. in lakh)
1	Ambala	30	0.90	24	0.72	6	0.18
2	Bhiwani	40	1.20	32	0.96	8	0.24
3	C.Dadri	20	0.60	16	0.48	4	0.12
4	Faridabad	20	0.60	16	0.48	4	0.12
5	Fatehabad	20	0.60	16	0.48	4	0.12
6	Gurugram	20	0.60	16	0.48	4	0.12
7	Hisar	40	1.20	32	0.96	8	0.24
8	Jhajjar	20	0.60	16	0.48	4	0.12
9	Jind	20	0.60	16	0.48	4	0.12
10	Kaithal	20	0.60	16	0.48	4	0.12
11	Karnal	20	0.60	16	0.48	4	0.12
12	Kuk	20	0.60	16	0.48	4	0.12
13	M.Garh	20	0.60	16	0.48	4	0.12
14	Mewat	20	0.60	16	0.48	4	0.12
15	Palwal	20	0.60	16	0.48	4	0.12
16	Panchkula	20	0.60	16	0.48	4	0.12
17	Panipat	20	0.60	16	0.48	4	0.12
18	Rewari	20	0.60	16	0.48	4	0.12
19	Rohtak	20	0.60	16	0.48	4	0.12
20	Sirsa	30	0.90	24	0.72	6	0.18
21	Sonipat	20	0.60	16	0.48	4	0.12
22	Y.Nagar	20	0.60	16	0.48	4	0.12
	Total	500	15.00	400	12.00	100	3.00

विशेष दिशा निर्देश:-

- 1 एक किसान को अधिकतम 1 स्प्रे पम्प का लाभ दिया जाएगा।
- 2 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/महिला किसान/लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- 3 किसान उपरोक्त मद में प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री की खरीद के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएगा और कृषि सामग्री हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी/ अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी](#)/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।